



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 पौष 1934 (श0)

(सं0 पटना 699) पटना, शुक्रवार, 28 दिसम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0-1-16/2012/449/लेज:1—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम, 2012

[बिहार अधिनियम 25, 2012]

प्रस्तावना।—शहर के फुटपाथ विक्रेताओं के जीविका के संरक्षण, उनके द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के नियमन तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (क) एवं (ख) में यह अनुबंधित है कि सरकार, विशेष रूप से, अपनी नीतियों को निदेशित करे, ताकि—

(क) सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले और

(ख) समुदाय की भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सार्वजनिक हितों की रक्षा करे:

और चूँकि बिहार राज्य की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है तथा राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी दे सके, जिसकी वजह से वे विधिपूर्वक अपने जीविकोपार्जन हेतु रास्ता और साधन खोजने के लिए स्वतंत्र हैं;

और चूँकि शहरी गरीब अपने व्यापार और व्यवसाय के लिए शहरी क्षेत्र में वहन करने योग्य कीमत या किराया पर एक सही स्थान पाने में असमर्थ हैं ; और परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हेतु जीविकोपार्जन करने के लिए फुटपाथ पर विक्रय करने के लिए बाध्य हैं ;

और चूँकि शहरी फुटपाथ विक्रेता असंगठित क्षेत्र के श्रम संख्या का एक महत्वपूर्ण घटक है और प्रतिदिन के इस्तेमाल की आम सामग्रियों को कम कीमत एवं सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराकर आम जनता की सुविधा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं पर वे राज्य प्रायोजित प्रयासों के अभाव में जीविका खो देने की लगातार असुरक्षा के बीच जीवन व्यतीत करते हैं;

और चूँकि, फुटपाथ विक्रेताओं का काम तथा व्यवसाय अन्य नागरिकों के अधिकार को बाधित करता है इसलिये इसका निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर नियमन आवश्यक है ताकि यातायात के सुचारू प्रवाह एवं पैदल चलने वालों के निर्विघ्न आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके, सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाए रखा जा सके और साथ ही, फुटपाथ विक्रेताओं के हितों की इस प्रकार रक्षा हो सके जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके;

इसलिए, अब, यह समीचीन है कि फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा शहर की अर्थव्यवस्था में किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को सम्यक मान्यता प्रदान की जाय, उनकी स्थिति को वैधता दी जाए, नागरिकों के अधिकारों को गम्भीर नुकसान पहुंचाए बिना उनके क्रियाकलापों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर उनकी जीविका को सुरक्षा प्रदान की जाय, साथ ही, फुटपाथ विक्रय को इस तरह नियमित किया जाए कि सड़कों, गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण न हो, वहाँ भीड़-भाड़ न हो और स्वास्थ्यप्रद वातावरण बना रहे।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।-** (1) यह अधिनियम बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तारीख नियत की जा सकेगी।

2. **परिभाषाएँ।-** (1) इस अधिनियम में , जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ,

(क) "सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार;

(ख) धारण क्षमता से अभिप्राय है ;- किसी निश्चित (परिभाषित) स्थान, क्षेत्र या किसी विक्रय क्षेत्र में समायोजित हो सकने वाले फुटपाथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या।

(ग) "नगर निकाय" से अभिप्रेत है नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत या सैनिक छावनी बोर्ड या किसी नगर या शहर में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में काम करने के लिए एवं नागरिक सेवा देने और फुटपाथ विक्रय के विनियमन के लिए विधिपूर्वक हकदार ऐसी हो अन्य निकाय और इसमें -आयोजना प्राधिकरण, चाहे जिस किसी नाम से बुलाया जाये, जो उस नगर या शहर की भूमि के उपयोग को विनियमित करता हो शामिल है;

(घ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित सूचना ;

(ड.) "फुटपाथ विक्रय हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र या नो वेंडिंग जोन" से तात्पर्य है ऐसी कोई जगह, स्थान गली या सड़क जहाँ किसी नगर निकाय या आयोजना प्राधिकरण के द्वारा फुटपाथ विक्रय को प्रतिबंधित किया गया हो;

(च) "आयोजना प्राधिकरण" से अभिप्रेत है कोई नगर विकास प्राधिकरण या किसी नगर या शहर में किसी अन्य नाम से बुलाया जाने वाला अन्य कोई प्राधिकरण जो सरकार द्वारा अभिहित है और मास्टर प्लान, या विकास योजना या क्षेत्रीय योजना या अभिन्यास योजना या कोई अन्य स्थानीय योजना, जो लागू शहरी और क्षेत्रीय प्लानिंग ऐक्ट या नगर विकास अधिनियम या नगरपालिका अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक प्रवर्तनीय हो, में किसी विशिष्ट क्रिया-कलाप हेतु क्षेत्र के संक्षिप्त विस्तार को परिभाषित करते हुए भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए जिम्मेवार है;

(छ) "विहित" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली;

- (ज) “स्कीम” से अभिप्रेत है सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन गठित स्कीम;
- (झ) “विनिर्दिष्ट” से अभिप्रेत है स्कीम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट;
- (ञ) “राज्य नोडल अधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य में फुटपाथ विक्रय से संबंधित सभी विषयों का समन्वय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अभिहित राज्य नोडल अधिकारी;
- (ट) “जिला नोडल अधिकारी” से अभिप्रेत है जिला स्तर पर फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित सभी विषयों का समन्वय करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट जिला नोडल अधिकारी;
- (ठ) “फुटपाथ विक्रेताओं” से अभिप्रेत है प्रतिदिन उपयोग की वस्तुओं, उत्पादों, खाद्य सामानों को गली, फुटपाथ, सड़क, सार्वजनिक पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर अथवा निजी स्थान पर किसी अस्थाई संरचना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके विक्रय करने या सामान्य जन को सेवा मुहैया कराने में लगा व्यक्ति और इसमें सभी अन्य मिलते जुलते नाम वाले विक्रेता जैसे- फेरीवाला, ठेलावाला, रेहरीवाला इत्यादि शामिल है;
- (ड) “चलंत विक्रेता” से अभिप्रेत है ऐसा विक्रेता जो ठेला गाड़ी या साइकिल या स्कूटर या अन्य कोई 800सी0सी0 से कम इंजन की क्षमता वाले हल्के मोटरचलित वाहन पर अथवा सर पर सामग्री ढोकर या अपने शरीर में टांग कर या थैले में रख कर या, घर-घर जाकर या चलते हुए बस तथा रेल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हुए नियमित या आकस्मिक ग्राहकों को विक्रय करता है या अपनी सेवा प्रदान करता है;
- (ढ) “नगर फुटपाथ विक्रेता समिति” से अभिप्राय है ऐसी संस्था जो खण्ड 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित की गयी है।
- (ण) “फुटपाथ विक्रय क्षेत्र या वेंडिंग जोन” से अभिप्राय है आयोजना। यदि कोई हो, नगर निकाय के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा फुटपाथ विक्रेताओं के विशिष्ट उपयोग के लिए चिन्हित क्षेत्र, जगह या स्थान जिसमें फुटपाथ, पटरी, खडंजा, तंटबंध, गली और सड़क का हिस्सा, आम जनता के लिए बना प्रतीक्षाालय ऐसा कोई अन्य स्थान जो विक्रय क्रिया-कलापों और सामान्य जन को सेवा देने के लिए उपयुक्त माना जाए, और इसमें सीमित वेंडिंग जोन सम्मिलित है।
- (2) किसी अधिनियम अथवा प्रावधान में इस अधिनियम का संदर्भ, ऐसे क्षेत्र के संबंध में जहाँ ऐसा अधिनियम लागू नहीं है, वहाँ पर लागू किसी समरूपी कानून के संदर्भ में समान समझा जाए।

अध्याय II

फुटपाथ विक्रय हेतु स्कीम

3. **फुटपाथ विक्रय हेतु स्कीम** 1- (1) इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार, अधिसूचना के द्वारा ऐसी स्कीम बनायेगी, जो निम्नलिखित विषय वस्तुओं में से सभी या कुछ को निर्धारित करेगी अर्थात्;
- (क) आयोजना प्राधिकरण द्वारा महा योजना (मास्टर प्लान), विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, या अन्य किसी स्थानिक योजना में फुटपाथ विक्रय क्षेत्र निर्धारित करने या फुटपाथ विक्रेताओं के लिए पर्याप्त स्थान चिन्हित करने हेतु उपयोग किये जाने वाले स्थानिक आयोजना मानक निर्धारित करना;
- (ख) किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में वेंडिंग जोन, नो वेंडिंग जोन या सीमित वेंडिंग जोन, के निर्धारण करने हेतु सिद्धांत का निर्माण;
- (ग) निजी स्थान को वेंडिंग जोन के रूप में नगर निकाय द्वारा निर्धारित करने हेतु शर्तें;
- (घ) वेंडिंग जोन की धारण क्षमता के निर्धारण हेतु सिद्धांत और उसके अंदर समाहित हो पाने वाले वर्तमान फुटपाथ विक्रेताओं की गणना तथा फोटो आधारित व्यापक डिजिटल सर्वेक्षण हेतु सिद्धांत निर्धारण;
- (ङ.) फुटपाथ विक्रेताओं को निबंधन प्रमाण-पत्र जारी करने, नवीनीकरण करने निलंबन करने या रद्द करने का तरीका एवं प्रक्रिया तथा उन्हें परिचय पत्र निर्गत करना;
- (च) निबंधन पत्र निर्गत करने तथा नवीकरण पर शुल्क लगाने तथा वसूली करने एवं निबंधन की शर्तों या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन होने पर दंड लगाने और वसूली करने की प्रक्रिया;
- (छ) निबंधन के संदर्भ में पुर्नविचार हेतु अपील करने तथा अपील पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शर्तों का निर्धारण;
- (ज) निबंधित फुटपाथ विक्रेताओं को दूकान आवंटित करने की प्रक्रिया एवं शर्तें ;

(झ) फुटपाथ विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने, निलंबन करने या रद्द करने की प्रक्रिया एवं शर्तें;

(ञ) लाइसेंस देने तथा उसके नवीकरण पर शुल्क लगाने तथा वसूली करने एवं लाइसेंस की शर्तों या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन होने पर दंड लगाने और वसूली करने के नियम एवं शर्तें;

(ट) फुटपाथ विक्रय की प्रक्रिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को कायम रखने के लिए नियम एवं शर्तें;

(ठ) राज्य स्तर पर फुटपाथ विक्रय से सम्बंधित मुद्दों का समन्वय करने के लिए राज्य नोडल अधिकारी को पदनामित करना;

(ड) जिला स्तर पर फुटपाथ विक्रय से सम्बंधित मुद्दों का समन्वय करने के लिए जिला नोडल अधिकारी को नामित करना ;

(ढ) फुटपाथ विक्रेताओं के संदर्भ में, नगर फुटपाथ विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण, राज्य नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी द्वारा उचित तरीके से अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों के रख-रखाव की पद्धति;

(ण) फुटपाथ विक्रेताओं को नोटिस जारी करने, बेदखल करने, पुनर्वासित करने, विक्रेताओं को क्षतिपूर्ति देने और उनके दूकान, माल एवं साधनों को जब्त करना या रद्द करने हेतु प्रक्रिया;

(त) ऐसे अन्य मुद्दे जो सरकार द्वारा इस स्कीम में शामिल किए जाने के लिए उचित समझे जाए।

(2) सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के सारांश को, उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम दो स्थानीय समाचार पत्रों में निर्धारित तरीके से प्रकाशित कराया जाएगा।

अध्याय- III

नगर फुटपाथ विक्रय समिति

4. नगर फुटपाथ विक्रय समिति।- (1) सरकार द्वारा प्रत्येक नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के अंदर एक नगर फुटपाथ विक्रय समिति का गठन किया जाएगा;

(2) प्रत्येक नगर फुटपाथ विक्रय समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे;

(क) नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जो भी उपयुक्त हो, इसकी अध्यक्षता करेंगे;

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित एवं मनोनीत ऐसे सदस्य जो स्थानीय प्राधिकरण, आयोजना प्राधिकरण, यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस, फुटपाथ विक्रेताओं का संगठन, बाजार-हाट संगठनों, व्यापार संगठनों, नागरिक कल्याण संगठनों, राष्ट्रीय बैंकों या ऐसी अन्य उचित समझी जाने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि;

परन्तु फुटपाथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या का चालीस प्रतिशत से कम न होगा और इन सदस्यों में से एक-तिहाई महिला विक्रेता होंगी;

परन्तु यह भी कि शारीरिक रूप से विकलांग फुटपाथ विक्रेताओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा;

(3) सरकार यदि चाहे तो उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन मनोनीत सदस्यों, सरकारी सेवकों को छोड़कर के लिये कुछ भत्ता नियत कर सकती है।

(4) वैसे सदस्यगण जो उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत मनोनीत हैं, का कार्यकाल 3 वर्ष होगा वशर्तें उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा समय से पहले रद्द नहीं कर दी जाये।

5. नगर फुटपाथ विक्रय समिति की बैठक।- नगर फुटपाथ विक्रय समिति नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित स्थान एवं समय पर बैठक करेगी और अपने बैठक की कार्यवाही एवं अपने कार्यों के सम्पादन में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का पालन करेगी।

6. किसी उद्देश्य हेतु व्यक्तियों को नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ अस्थायी रूप से जोड़ना।- (1) नगर फुटपाथ विक्रय समिति, निर्धारित उद्देश्य एवं प्रक्रिया के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने हेतु, ऐसे व्यक्ति को समिति में अस्थायी रूप से सम्मिलित कर सकती है, जिसके परामर्श और सहायता की समिति की इच्छा हो।

(2) उप-धारा (1)के अन्तर्गत किसी उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से सम्मिलित व्यक्ति को उस उद्देश्य पर चर्चा करने का अधिकार होगा, परन्तु वह व्यक्ति किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए सदस्य नहीं होगा।

(3) उप-धारा (1)के अन्तर्गत शामिल किए गए व्यक्ति को निर्धारित भत्ता दिया जा सकेगा।

7. नगर फुटपाथ विक्रय समिति हेतु कार्यालय स्थल एवं अन्य कर्मचारी।- नगर निकाय नगर फुटपाथ विक्रय समिति को आवश्यक कार्यालय स्थल और वैसे अन्य कर्मचारी यथा अपेक्षित हो, उपलब्ध करायेगी।

8. वार्ड फुटपाथ विक्रय समिति का गठन।-नगर फुटपाथ विक्रय समिति निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एवं प्रक्रियानुसार निर्धारित संख्या में वार्ड फुटपाथ विक्रय समिति का गठन कर सकती है।

9. नगर फुटपाथ विक्रय समिति के कार्य।-सरकार नगर फुटपाथ विक्रय समिति को निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी दे सकती है, यथा-

(क) निर्धारित प्रारूप और प्रक्रियानुसार फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र प्रदान करना;

(ख) फुटपाथ विक्रेताओं के निबंधन या निबंधन के नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क संग्रह करना;

(ग) नगर निकाय के साथ विचार विमर्श के आधार पर, बैंक या नगर निकाय या नगर फुटपाथ विक्रय समिति के काउंटर के माध्यम से शुल्क संग्रह की विधि, निबंधन शुल्क, चलंत विक्रेताओं द्वारा पार्किंग स्थल प्रयोग करने एवं नागरिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने के तरीके तय करना;

(घ) विहित प्ररूप और प्रक्रियानुसार फुटपाथ विक्रेताओं को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, उनका नवीकरण, निलंबन या रद्द करना;

(ङ.) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) निर्धारित करना और चिह्नित करना;

(च) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में (वेंडिंग जोन) विक्रय की अवधि और समय सीमा का निर्धारण करना;

(छ) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) के तौर पर चिह्नित भूमि, सड़क, फुटपाथ, तटबंध, प्रतीक्षालय, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों का लेखा जोखा निर्धारित ढंग से बनाए रखना;

(ज) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) का निश्चित अवधि पर सर्वेक्षण करते रहना;

(झ) फुटपाथ विक्रेताओं के संबंध में आंकड़ा संग्रह करना एवं उसका उचित लेखा रखना;

(ञ) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में स्थायी और चलंत दूकानों के विभिन्न वर्गों हेतु संख्यात्मक मानको का निर्धारण करना;

(ट) प्रत्येक फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) के अधिकतम धारण क्षमता का अनुमान लगाना एवं निर्धारण करना;

(ठ) निर्धारित तरीके से फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन), नो वेंडिंग जोन एवं सीमित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (रेस्ट्रिक्टेड वेंडिंग जोन) की पहचान एवं घोषणा करना;

(ड) प्रत्येक चिह्नित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) का प्रकार, उसकी सीमा रेखा एवं विक्रय की अवधि को इंगित करने के लिए उपयुक्त चिह्न पटलों (साइन बोर्ड) को लगाना;

(ढ) साप्ताहिक हाट, रात्रि बाजार, अवकाश और त्योहारों के अवसर पर लगाने वाले बाजार के लिए स्थान और समय की घोषणा करना;

(ण) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में प्रदत्त नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, बिजली आदि की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना;

(त) फुटपाथ विक्रेताओं के क्रिया-कलापों पर निगरानी रखना;

(थ) नागरिकों को आपूर्ति की गई वस्तुओं एवं सेवा में नगर निकाय द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, सार्वजनिक, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करना;

(द) फुटपाथ विक्रेताओं को आवंटित दुकानों का दिये गए नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रयोग सुनिश्चित करना;

(ध) निबंधन को निर्गत, निलंबन या रद्द करने हेतु नियमों एवं शर्तों को निर्धारित तरीके से उल्लेखित करना;

(न) निबंधन के नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर किये जाने पर की जाने वाली कार्रवाई तथा लगाये जाने वाले अर्थदंड को तय करना;

- (घ) संस्थागत माध्यम से वित्त प्राप्त करने के प्रति जागरूकता का प्रसार करना,
 (फ) फुटपाथ विक्रेताओं के क्रिया-कलापों को नियमित करने के लिए मानक निर्धारित करना,
 (ब) मृत्यु, बीमारी अथवा अपंगता की अवस्था में फुटपाथ विक्रेताओं को बीमा लाभ, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तों को निर्धारित करना,
 (भ) फुटपाथ विक्रेताओं के मध्य संगठन तथा स्वयं सहायता समूह गठन करने के लिए निर्देशिका तैयार करना;
 (म) फुटपाथ विक्रेताओं को उद्यमशीलता तथा तकनीकी एवं व्यापारी कौशल की जानकारी देने की दृष्टि से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना;
 (य) फुटपाथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण एवं उनके आपसी विवादों का निपटारा करना।
 (कक) वार्ड भेंडिंग समितियों को ऐसे कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व आवंटित करना जो विहित किये जायें।
10. **वार्षिक लेखा ब्यौरा का प्रकाशन।**-फुटपाथ विक्रय समिति विहित प्ररूप एवं रीति के अनुसार अपने वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को तैयार और प्रकाशित करेगी।

अध्याय IV

फुटपाथ विक्रेताओं का निबंधन

11. **निबंधन हेतु आवेदन।**- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो 14 वर्ष का हो चुका है और फुटपाथ विक्रय हेतु इच्छुक है, अपने निबंधन के लिए नगर फुटपाथ विक्रय समिति को आवेदन देगा।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप व प्रक्रिया के अनुसार एवं नियत शुल्क के साथ किया जाएगा।

12. **फुटपाथ विक्रेताओं का निबंधन।**- (1) धारा-11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिये गये आवेदनों का नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा आकलन किया जायेगा और निबंधन निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं नियत समय सीमा के अन्दर किया जायेगा;

परन्तु यदि नियत समय सीमा के पूरा होने पर, आवेदक को कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वह निबंधित समझा जायेगा;

(2) नगर फुटपाथ विक्रय समिति आवेदक का पक्ष सुने बगैर या कमियों को ठीक करने का अवसर दिये बगैर किसी आवेदन को सीधा अस्वीकार नहीं करेगी।

(3) यदि नगर फुटपाथ विक्रय समिति अथवा इसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जैसा उपयुक्त हो, संतुष्ट है कि आवेदन इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों तथा स्कीम के अनुरूप है, तो वह फुटपाथ विक्रय का नाम निबंधित कर लेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के अंतर्गत फुटपाथ विक्रय समिति का निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष नियत समय सीमा के अंदर एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार याचिका दायर कर सकता है।

(5) कोई भी व्यक्ति फुटपाथ विक्रय का व्यवसाय न ही चलायेगा या शुरू करेगा यदि उसके पास इस अधिनियम के तहत जारी फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र न हो।

(6) उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन, नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, योजना में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, हर फुटपाथ विक्रेता को जो उप-धारा (1) और (3) के तहत पंजीकृत हो, फुटपाथ विक्रय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(7) सभी विक्रेता जिन्हें फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है उन्हें उस रूप और तरीके से परिचय पत्र जारी करना होगा जैसा इस योजना में निर्दिष्ट है।

(8) नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा फुटपाथ विक्रेता को फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मापदंड इस योजना में निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, विकलांगों, अल्पसंख्यकों या ऐसे अन्य श्रेणियों को प्राथमिकता दे सकेगा, जैसा कि विहित किया जाय।

13. पंजीकृत फुटपाथ विक्रेताओं को दूकानों के आवंटन में प्राथमिकता 1-(1) नगर निकाय वेंडिंग जोन के अंदर दुकानों के आवंटन में पंजीकृत फुटपाथ विक्रेताओं को प्राथमिकता दे सकेगी।

(2) फुटपाथ विक्रेताओं के मध्य दुकानों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया एवं विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के आधार पर होगा।

14. अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्रदान करना 1-फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में दुकान प्राप्त करने वाले निबंधित फुटपाथ विक्रय को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुज्ञापत्र निर्गत किया जायेगा तथा निश्चित अंतराल पर इसका निर्धारित शुल्क एवं शर्तों के आधार पर नवीकरण किया जायेगा।

अध्याय V

फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकार और दायित्व

15. फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकार।-हर फुटपाथ विक्रेता को वेंडिंग प्रमाण-पत्र और बनाये गये योजना में दिये गये नियमों और शर्तों के द्वारा आवंटित वेंडिंग क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों को करने का अधिकार होगा।

16. स्थानांतरण की दशा में फुटपाथ विक्रेता को नये साईट या क्षेत्र का अधिकार।- हर फुटपाथ विक्रेता, जिनके पास वेंडिंग प्रमाण-पत्र हो, स्थानांतरण की दशा में, स्थानीय प्रधिकार द्वारा निर्धारित अपने वेंडिंग गतिविधियों को करने के लिए, जैसा भी मामला हों, नये साईट या क्षेत्र लिए हकदार होंगे।

17. फुटपाथ विक्रेताओं के दायित्व।- (1) जहां एक फुटपाथ विक्रेता टाइम शेयरिंग के आधार पर किसी जगह पर अधिकार रखते हैं तो उन्हें प्रदान किये गये टाइम शेयरिंग अवधि के समाप्त होने पर हर दिन अपने माल और सामान को हटा लेना होगा।

(2) हर फुटपाथ विक्रेता को वेंडिंग क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई बनाए रखना होगा।

(3) हर फुटपाथ विक्रेता को वेंडिंग क्षेत्र में नागरिक और सार्वजनिक सुविधाओं को अच्छे हालात में बनाए रखना होगा और उन्हें नष्ट या नुकसान नहीं पहुँचाना होगा या नष्ट या नुकसान नहीं पहुँचने देना होगा।

अध्याय VI

फुटपाथ विक्रेताओं का स्थानांतरण, उनके बेदखली और माल की जब्ती की प्रक्रिया

18. फुटपाथ विक्रेताओं की बेदखली या स्थानांतरण।-(1) नगरपालिका को, सार्वजनिक उपद्रव या फुटपाथ विक्रेताओं की वजह से सामान्य जनता के गति में अवरोध के संबंध में, या अन्य किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, स्ट्रीट विक्रेताओं को ऐसी रीति से स्थानांतरित करना होगा जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो।

(2) जहां नगरपालिका संतुष्ट हो जाता है कि एक फुटपाथ विक्रेता लगातार इस अधिनियम या नियमों या उसके आधार पर बनाये गये योजना के तहत अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में नाकाम रहा हो, तो फुटपाथ विक्रेता को वैसे तरह से बेदखल कर सकता है जैसा योजना में निर्दिष्ट हो।

(3) कोई भी फुटपाथ विक्रेता आवंटित साइट से नगरपालिका द्वारा तब तक स्थानांतरित या बेदखल नहीं किये जायेंगे जब तक उन्हें इसके लिए ऐसे तरीके से सात दिन का नोटिस नहीं दिया जाता जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो।

(4) एक फुटपाथ विक्रेता नगरपालिका द्वारा शारीरिक रूप से तब ऐसे तरीके से स्थानांतरित या बेदखल होगा जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो, जब वह उप-धारा-(3) के तहत नोटिस की अवधि के समाप्त होने पर साइट को खाली करने में विफल रहा हो।

(5) हर फुटपाथ विक्रेता जो नोटिस की अवधि समाप्त होने पर साइट को खाली करने में विफल रहते हैं, हर दिन की चूक के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है जैसा नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया गया हो।

19. माल की जब्ती और पुनः प्राप्ति।- (1) नगरपालिका, धारा-18 के तहत बेदखली के अलावा, अगर यह आवश्यक समझे, वैसे फुटपाथ विक्रेताओं के माल को वैसे तरीके से जब्त कर सकती है जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो।

(2) फुटपाथ विक्रेता, जिनका माल उप-धारा (1) के तहत जब्त किया गया हो, अपने माल को वैसे फीस के भुगतान के बाद वैसे तरीके से पुनः प्राप्त कर सकते हैं जैसा इस योजना में निर्दिष्ट हो।

अध्याय VII

फुटपाथ विक्रेताओं के उत्पीड़न की रोकथाम

20. **फुटपाथ विक्रेताओं के उत्पीड़न की रोकथाम।-** कोई भी फुटपाथ विक्रेता, जो वेंडिंग प्रमाण-पत्र में दिये गये नियम और शर्तों के अनुसार फुटपाथ वेंडिंग गतिविधि करता है, किसी भी व्यक्ति या पुलिस या अन्य किसी कोई प्राधिकार जो तत्समय प्रावधान में किसी कानून द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करती है, द्वारा ऐसे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

अध्याय VIII

नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य

21. **स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य।-** तात्कालिक रूप से लागू किसी भी कानून में निहित प्रावधान के बावजूद नगर स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :-

- (क) फुटपाथ विक्रेताओं हेतु तय स्कीम का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;
- (ख) फुटपाथ विक्रेताओं के मध्य निर्धारित पद्धति से दुकानों का आवंटन;
- (ग) निबंधित फुटपाथ विक्रेताओं को निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुज्ञापत्र प्रदान करना एवं इसका नवीकरण निलंबन या रद्दीकरण करना;
- (घ) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में नगर फुटपाथ विक्रय समिति में विचार विमर्श के आधार पर फुटपाथ विक्रेताओं को निम्नलिखित नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करना:-

- (i) ठोस कचड़ा प्रबंधन;
- (ii) स्वच्छता बनाये रखने के लिए सार्वजनिक शौचालय;
- (iii) बिजली तथा पेयजल;
- (iv) विक्रेताओं एवं उनके माल की सुरक्षा हेतु आश्रय स्थल;
- (v) भंडारण सुविधाएँ, सौंदर्यीकरण एवं पथ प्रदर्शक चिह्न स्थापित करना;
- (vi) अन्य सुविधाएँ जो फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा आवश्यक समझा जाये एवं स्कीम में विनिर्दिष्ट हो।

(ड.) नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ विचार विमर्श के आधार पर फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा निबंधन, स्थान तथा नागरिक सुविधाएँ के प्रयोग हेतु लगने वाले शुल्क का तथा उनको संग्रह करने की पद्धति का निर्धारण।

(च) नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ विचार विमर्श के आधार पर बैंक या स्थानीय प्राधिकरण या टाउन वेंडिंग कमिटी के काउंटर के माध्यम से, निबंधनशुल्क की राशि तथा चलंत विक्रेताओं द्वारा पार्किंग स्थल का प्रयोग करने एवं नागरिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से प्राप्त शुल्क को संग्रहित करने का तरीका तय करना।

(छ) न्यूनतम वार्षिक अनुदान सीमा के आधार पर प्रत्येक फुटपाथ विक्रय समिति को कर्मचारी एवं बजट का आवंटन, एवं कमिटी द्वारा शुल्क और अर्थदंड के रूप में संग्रहित राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत कमिटी को विभिन्न कार्यों को प्रभावशाली तरीके से पूरा करने के लिए दिया जाना।

(ज) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) की धारण क्षमता के अंदर वर्तमान में कार्यरत फुटपाथ विक्रेताओं को समाहित करने के उद्देश्य से, नगर फुटपाथ विक्रय समिति के साथ विचार-विमर्श के उपरांत, उचित विशेषज्ञ के सहयोग से, निर्धारित पद्धति के अनुसार, व्यापक फोटो जनगणना एवं सर्वेक्षण करना। यह सर्वेक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों के आधार पर होगा :

- (i) वार्ड दर वार्ड, गली दर गली, समूह दर समूह, बाजार दर बाजार सड़क दर सड़क, जिसमें सभी ऐसे क्षेत्रों का खाका हो, जहाँ नगर के फुटपाथ विक्रेता देखे जाते हैं;
- (ii) नगर या शहर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न दिनों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों का विस्तृत सर्वेक्षण एवं गणना करना;

(iii) फुटपाथ विक्रेताओं का उनके स्थान तथा अन्य जानकारी के साथ निर्धारित प्ररूप के अनुसार फोटो आधारित जनगणना करना;

(झ) फुटपाथ विक्रेताओं का सम्पूर्ण आंकड़ा नगर निकाय/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा और निश्चित अंतराल पर इसे अद्यतन किया जायेगा;

(ञ) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के समीप यातायात का नियमन करना।

अध्याय IX

आयोजना प्राधिकरण के कर्तव्य

22. आयोजना प्राधिकरण के कर्तव्य।-तात्कालिक रूप से लागू किसी कानून में निहित किसी भी प्रावधान के होते हुये भी आयोजना प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगी;

(क) फुटपाथ विक्रय हेतु स्थान संबंधी योजना मानकों का निर्धारण;

(ख) मुख्य (मास्टर प्लान) योजना, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, अभिन्यास योजना अथवा अन्य किसी योजना में फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र हेतु जगह का आवंटन;

(ग) गैर-फुटपाथ विक्रय क्षेत्र (नो वेंडिंग जोन) का निर्धारण करना;

(घ) योजना मानकों के संबंध में नगर फुटपाथ विक्रय समिति के कार्यों की समीक्षा करना;

(ड.) मुख्य (मास्टर प्लान) योजना, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, अभिन्यास योजना अथवा अन्य किसी योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को चिन्हित फुटपाथ विक्रय क्षेत्र में समाहित करने हेतु संशोधन करना;

(च) शहर/ नगर की आवश्यकतानुसार फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) या नो वेंडिंग जोन को निर्धारित करना;

(छ) शहर के फुटपाथ विक्रेताओं की वर्तमान जनसंख्या तथा इसमें होने वाली भावी वृद्धि के दृष्टिकोण से निर्धारित मानकों के आलोक में उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थानिक योजना का निर्माण;

(ज) उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य कार्य;

(झ) विभिन्न क्षेत्रों एवं बहुमंजिली इमारतों में चलंत विक्रय की संभावना तलाशना।

अध्याय- X

शर्तों का उल्लंघन एवं दण्ड

23. निबंधन का निलंबन या रद्दीकरण।- इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित कोई फुटपाथ विक्रय या उसका अभिकर्ता या प्रतिनिधि, इसके नियम एवं शर्तों या फुटपाथ विक्रय के नियमन हेतु इस अधिनियम के तहत बने किसी नियमावली का उल्लंघन करता है, अथवा जहां नगर फुटपाथ विक्रय समिति को ज्ञात होता है कि विक्रेता द्वारा गलत सूचना या धोखे से निबंधन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी अवस्था में नगर फुटपाथ विक्रेता समिति फुटपाथ विक्रय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत लिये जाने वाले अर्थदंड के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, उसके निबंधन का रद्दीकरण या उपयुक्त अवधि के लिए निलंबन कर सकेगी;

परन्तु इस प्रकार का कोई भी रद्दीकरण या निलंबन नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा फुटपाथ विक्रेता का पक्ष सुने बिना नहीं किया जायेगा।

24. अनुज्ञापत्र एवं दूकान के आवंटन को रद्द करना या निलंबित करना ।-यदि कोई फुटपाथ विक्रेता जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञापत्र या दूकान आवंटित किया गया है जिसे या उसका अभिकर्ता या प्रतिनिधि, उसके नियम एवं शर्त या फुटपाथ विक्रय के नियमन हेतु इस अधिनियम के तहत बने नियम या शर्त, या इसके अंतर्गत बने अन्य नियम या स्कीम का उल्लंघन करता है, अथवा जहां स्थानीय प्राधिकरण संतुष्ट है कि दूकान का आवंटन तथा अनुज्ञापत्र विक्रेता द्वारा गलत सूचना या धोखे से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी अवस्था में स्थानीय प्राधिकरण, विक्रेता द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले अर्थदंड के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, उसके दूकान के आवंटन तथा अनुज्ञापत्र का रद्दीकरण या उपयुक्त अवधि के लिए निलंबन कर सकता है;

परन्तु इस प्रकार का कोई भी रद्दीकरण या निलंबन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा फुटपाथ विक्रेता का पक्ष सुने बिना नहीं किया जाएगा।

25. नियमों के उल्लंघन पर दण्ड।- यदि कोई फुटपाथ विक्रेता :-

- (क) बिना निबंधन के फुटपाथ पर विक्रय करता है,
- (ख) चिन्हित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) की सीमा तथा समय सीमा से बाहर विक्रय करता है,
- (ग) नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सामग्री या सेवाओं की बिक्री या सेवा प्रदान करता है,
- (घ) निबंधन के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है,
- (ङ.) दुकान या अनुज्ञापत्र के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है,
- (च) इस अधिनियम के अंतर्गत फुटपाथ विक्रय को नियमित करने के उद्देश्य से बनाये गये अन्य नियम एवं शर्तों या इसके अंतर्गत बने अन्य नियम या स्कीम का उल्लंघन करता है, तो वह नगर फुटपाथ विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा उपयुक्त हो, द्वारा निर्धारित अर्थदंड का भागी होगा।

अध्याय XI

विविध

26. स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना, इत्यादि।- (1) इस अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी स्ट्रीट विक्रेता को उन्हें आवंटित वेंडिंग क्षेत्र में वेंडिंग गतिविधि करने के लिए या ऐसे किसी जगह के संबंध में जहां वह वेंडिंग गतिविधि करता हो, कोई भी अस्थायी, स्थायी या सतत अधिकार प्रदान करना नहीं समझा जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में निहित कोई भी बात किसी भी स्थिर विक्रेता पर नहीं लागू होगा, अगर किसी जगह पर, जहां वह तत्समय प्रभाव में किसी कानून में दिये गये प्रावधान के अनुसार वेंडिंग गतिविधि करता हो, किसी लीज डीड द्वारा अस्थायी लीज होल्ड या स्वामित्व का अधिकार उसे प्रदान किया जाता है।

27. प्रतिवेदन/आय व्यय का विवरण।- प्रत्येक नगर फुटपाथ विक्रय समिति निश्चित अंतराल पर सरकार को और स्थानीय प्राधिकरण को निर्धारित आय-व्यय विवरण एवं अन्य प्रतिवेदन देगी।

28. उत्थान के उपाय।- सरकार, टाउन वेंडिंग कमिटी, नगर/स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण तथा फुटपाथ विक्रेताओं के संगठन के साथ विचार विमर्श के आधार पर फुटपाथ विक्रेताओं को वित्त की उपलब्धि तथा बीमा और सामाजिक सुरक्षा के कल्याणकारी योजना से लाभान्वित करने हेतु कदम उठा सकेगी।

29. अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकता ।- सरकार आर्थिक एवं अन्य स्रोतों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में:-

(क) फुटपाथ विक्रेताओं के क्षमता संवर्धन एवं इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकारों के उपयोग हेतु कार्यक्रम का आयोजन कर सकेगी।

(ख) अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र तथा विशिष्ट रूप से फुटपाथ विक्रेताओं की भूमिका के बेहतर समझ और ज्ञान हेतु, नागरिकों के मध्य जागरूकता का प्रसार हेतु नगर फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा अनुसंधान, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकेगा।

30. उप-विधि बनाने की शक्ति।- इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बने अन्य नियमों या स्कीम के परिप्रेक्ष्य में नगर प्राधिकरण/स्थानीय निकाय निम्नलिखित विषय-वस्तुओं पर उप-नियम बना सकते हैं, यथा-

(क) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन), सीमित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (रेस्ट्रीक्टेड वेंडिंग जोन) में तथा नो वेंडिंग जोन में विक्रय की पद्धति एवं संचालन का विनियमन,

(ख) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में करो एवं शुल्कों के संग्रह का विनियमन,

(ग) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) के नजदीक यातायात का विनियमन,

(घ) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) में नागरिकों को बेची जाने वाली वस्तुओं अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का नियमन तथा फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों का पालन,

(ङ.) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का विनियमन तथा

(च) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र (वेंडिंग जोन) या नो वेंडिंग जोन में आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य विषय वस्तुओं का विनियमन,

31. नियम को बनाने की शक्ति।- (1) राज्य सरकार नगर फुटपाथ विक्रय समिति के परामर्श से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने हेतु नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सभी या निम्नांकित कुछ विषय वस्तुओं पर नियम बना सकती है, यथा-

- (क) धारा-3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत स्कीम के सारांश के प्रकाशन की पद्धति,
- (ख) धारा-4 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत सदस्यों की संख्या का निर्धारण,
- (ग) धारा-4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष एवं सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता,
- (घ) धारा-4 के अंतर्गत बैठक करने के लिए समय और स्थान, बैठक की कार्यवाही का तथा कार्य संपादन की प्रक्रिया,
- (ङ.) धारा-6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अस्थायी तौर पर व्यक्ति को जोड़ने का उद्देश्य एवं पद्धति,
- (च) धारा-6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शामिल किये गये व्यक्तियों का भत्ता,
- (छ) धारा-7 के अंतर्गत फुटपाथ विक्रय समिति के अन्य कर्मचारी,
- (ज) धारा-8 के अंतर्गत वार्ड फुटपाथ विक्रय समिति को गठित करने का उद्देश्य तथा पद्धति एवं इसकी संख्या,
- (झ) धारा-10 के अंतर्गत वार्षिक लेखा को तैयार करने एवं उसे प्रकाशित करने का प्रपत्र एवं पद्धति,
- (ञ) धारा-20 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत बने प्रत्येक नियम, स्कीम और उप-नियम को यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल, जब वह सत्र में होगा, के समक्ष रखा जायेगा। यदि सदन किसी नियम या स्कीम या उपनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमति देती है तो वह उपनियम या स्कीम अपने परिवर्तित स्वरूप में लागू होगा और यदि सदन इस बात पर सहमति देती है कि कोई नियम, उप नियम या स्कीम नहीं बनाया जाये तो उस नियम, उप नियम या स्कीम को नहीं लागू किया जायेगा। तथापि ऐसा परिवर्तन या समाप्ति इस नियम, उप नियम या स्कीम के अंतर्गत पूर्व में किये गये कार्य की वैधता के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना होगा।

32. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।- (1) यदि कोई कठिनाई इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव में देने में उठती है, तो राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जैसा कठिनाईयों को दूर करने लिए आवश्यक या फायदेमंद प्रतीत हो ;

परन्तु इस अधिनियम के प्रभाव में आने के तीन वर्षों के बाद कोई भी आदेश नहीं दिया गया हो।

(2) इस धारा के तहत हर आदेश, उसे दिये जाने के बाद जितना जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

28 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0-1-16/2012/450/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2012 को अनुमत बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

BIHAR STATE STREET VENDORS
(PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF TRADE) ACT, 2012
[Bihar Act 25, 2012]

AN
ACT

Preamble. - To provide for protection of livelihood of urban street vendors and to regulate trade and services provided by street vendors to the public and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS clauses (a) and (b) of Articles 39 of the Constitution of India stipulates that State shall, in particular, direct its policy so that,-

(a) The citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

(b) The ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to sub serve the common good;

AND WHEREAS the state of Bihar has more than 41 percent of its population living below poverty line and it is not a possible to provide employment opportunities to all of them in public sector making it imperative for them to find ways and means to earn their livelihood lawfully;

AND WHEREAS urban poor are unable to find suitable place for carrying out their trade, business or calling at an affordable price or rent in urban areas and consequently, out of socio-economic considerations, forced to take up street vending to earn their living;

AND WHEREAS urban street vendors form an important segment of the workforce in the unorganized sector and considerably add to the comfort of the general public by making available ordinary articles of everyday use at affordable prices and at convenient locations, nevertheless they live in constant insecurity of losing their livelihood due to the absence of state-sponsored initiatives;

AND WHEREAS the street vendors trade or business does conflict with the right of other citizens and requires regulation on certain principles so as to ensure free flow of traffic, smooth movement of pedestrians, maintenance of cleanliness and hygiene in public places; and protect the interest of street vendors to earn their modest living;

NOW THEREFORE, it is considered expedient to give due recognition to the vital role played by the street vendors in the urban economy, legalize their status, promote a supportive environment for their activities and protect their livelihoods, without seriously conflicting with the rights of citizens by regulating street vending to ensure that roads and street do not get encroached upon and congested and condition of cleanliness and hygiene is maintained on streets and other public places;

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar, in the sixty third Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER - I
PRELIMINARY

1. Short title, Extent and Commencement. - (1) This Act may be called the Bihar State Street Vendors (Protection of livelihood and Regulation of Trade) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas of the State.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless otherwise required in the context-

(a) **“Government”** means the State government;

(b) **“Holding capacity”** means the maximum number of streets vendors who can be accommodated in any defined location, area or vending zone;

(c) **“Municipality”** means a Municipal Corporation or a Municipal Council or a Nagar Panchayat, and includes such other body legally entitled to function as a local authority in any city or town to provide civic services and regulate street vending, and includes the planning authority, by whatever name called which regulates the land use in that city or town;

(d) **“Notification”** means a notification published in the Official Gazette;

(e) **“No-vending zone”** means an area or place or a location or a street or road designated as such by the Municipality or a planning authority where vending activities shall be prohibited;

(f) **“Planning Authority”** means an Urban Development Authority or any other authority in any city or town, by whatever name called, designated by the Government as responsible for regulating the land use by defining the precise extent of areas for any particular activity in the master plan or development plan or zonal plan or layout plan or any other spatial plan which is legally enforceable under the applicable Regional and Town Planning Act or the Urban Development Act or the Municipal Act;

(g) **“Prescribed”** means prescribed by rules made under this Act by the Government;

(h) **“Scheme”** means a scheme framed by the Government under section 3;

(i) **“Specified”** means as specified by the scheme;

(j) **“State Nodal Officer”** means an officer designated by the State Government to coordinate all matters relating to street vending in the State;

(k) **“District Nodal Officer”** means an officer designated by the District magistrate to coordinate all matters relating to street vending in the District;

(l) **“Street Vendor”** means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area or from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region-specific; and the words ‘street vending’ with their grammatical variations accordingly;

(m) **“Mobile Vendor”** means a person who sells goods or offers services, moving from place to place carrying wares on push cart or in bicycle or scooter or any other light motorized vehicle of less than 800 cc engine power or carrying basket on head, or in bags or contraption attached to own body, or may sell wares in moving buses, trains, house to house carrying goods on a cart or on own body for regular or casual customers;

(n) **“Town Vending Committee”** means the body constituted by the Government under section 4;

(o) **“Vending Zone”** means an area or place or a location designated as such by the Municipality in consultation, with the planning authority, in case there be one, for the specific use by street vendors for street vending and includes footpath, side walk, pavement, embankment, portions of a street, waiting area for public or any such place considered suitable for vending activities and providing services to the general public, and shall include restricted vending zone.

(2) Any reference in this Act to any enactment or any provision thereof, shall, in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law, in force in that area.

CHAPTER II
SCHEME FOR STREET VENDING

3. Scheme for Street Vendors.- (1) For the purposes of this Act, the Government shall frame, by notification, a scheme which may specify all or any of the following matters, namely:

(a) The norms of spatial planning to be adopted by the planning authority for earmarking vending zones or adequate space for street vendors in the master plan, development plan, zonal plan, layout plan or any other spatial plan;

(b) The principle for determination of vending zones as restriction-free vending zone, restricted- vending zones and non-vending zones, street and other public places;

(c) The condition under which private places may be designated as vending zones by the Municipality;

(d) The principle for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive digitalized photo census and survey of the existing number of street vendors within the holding capacity of the vending zones;

(e) The form and manner of grant, renewal, suspension or cancellation of a registration certificate for, and issue of identity card to, the street vendors;

(f) The manner of levy and collection of fees for the grant and renewal of a registration certificate and fines for contravention of the terms and conditions of registration and other provisions of this Act;

(g) The form and manner of filing appeals to, and procedure for disposal of appeals by, Municipality in respect of registration of street vendors;

(h) The manner of, and the terms and conditions of, allotment of stalls to the registered street vendors;

(i) The form and manner of grant, renewal, suspension or cancellation of a license;

(j) The manner of levy and collection of fees for the grant and renewal of license and fines for contravention of the terms and conditions of the license;

(k) The terms and conditions for street vending including norms to be observed for maintaining and up keeping public health and hygiene;

(l) The designation of State Nodal Officer for co-ordination of all matters relating to street vending at the State level;

(m) The designation of District Nodal Officer for co-ordination of all matters relating to street vending at the District level;

(n) The manner of maintenance of proper records and other documents by the town vending committee, local authority, planning authority, State Nodal Officer and District Nodal Officer in respect of street vendors;

(o) The manner of giving notice to, and eviction of, street vendors; impounding, destruction or seizure of stalls, goods and equipments and relocation of street vendors, and compensation payable to evicted street vendors;

(p) Any other particulars which may be considered by the Government as proper for including in the scheme;

(2) A summary of the scheme notified by the Government under subsection (1) shall be published by the Municipality in such manner as may be prescribed.

CHAPTER III
TOWN VENDING COMMITTEE

4. Town Vending Committee.- (1) The Government shall, in each Municipal/local authority, constitute a town vending committee.

(2) Each town vending committee shall consist of –(a) the Municipal Commissioner or the Chief Executive Officer, as the case may be, who shall be the Chairperson; and

(b) such numbers of other members as may be prescribed, to be nominated by the Government, representing the local authority, the planning authority, traffic police, local police, association of street vendors, market associations, trade associations, resident welfare associations, nationalized banks and such other institutions as it deems proper:

Provided that the number of members nominated to represent the street vendors shall not be less than forty percent of the total number of members and one-third of such members shall be from amongst women vendor.

Provided further that reasonable representation shall also be given to persons who are physically challenged.

(3) The Government may, if it deems fit, prescribe some allowances for the members nominated by it under clause (b) of sub-section (2), except those who are government servants.

(4) The member nominated under clause (b) of sub-section (2) shall, unless his nomination is terminated earlier by the Government, hold office for a term of three years from the date of his nomination.

5. Meeting of town vending committee.-The town vending committee shall meet at such times and places within the jurisdiction of the Municipality and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting, and in discharge of its functions, as may be prescribed.

6. Temporary Association of persons With town vending committee For particular Purposes.-(1) The town vending committee may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be prescribed, any person whose assistance or advice, any person whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of the Act.

(2) A person so associated under sub-section (1) for any purpose shall have a right to take part in the discussion relevant to that purpose, shall not be a member for any other purpose.

(3) The person so associated under sub-section (1) may be paid such allowances as may be prescribed

7. Office space and other employees of Town Vending Committee.- The Municipality shall provide the town vending committee with appropriate office space and such other employees as may be required.

8. Constitution of ward vending committee.-The town vending committee may constitute, in such manner and for such purposes, such number of ward vending committee, as may be prescribed.

9. Function of Town Vending Committee.- The Government may assign to the town vending committee the following functions, namely.-(a) issue to the street vendors identity cards in such form and manner as may be prescribed;

(b) collect such fee for registration or renewal of registration of street vendors as may be prescribed;

(c) determine the manner of collection of fees through banks, counters of Municipality or counters of town vending committee, fee for registration, usage of parking space for mobile stalls and availing of civil services, in consultation with the Municipality;

(d) grant, renew, suspend or cancel registration certificates to street vendors, in such form and manner, and on such terms and conditions, as may be specified;

(e) identify and designate vending zones;

(f) specify timings for vending in vending zones;

(g) maintain the records of land, street, footpath, embankment, waiting area, parks and other public places designated for vending in such manner as may be prescribed;

- (h) conduct periodic surveys of vending zones;
- (i) collect and maintain data regarding street vendors;
- (j) determine quantitative norms for different categories of stationery and mobile stalls in the vending zones.
- (k) assess and determine maximum holding capacity of each vending zone;
- (l) identify and declare area as restriction –free-vending zones, restricted –vending zones and no vending zones in manner specified;
- (m) fix signboard at each vending zone to indicate kind of vending zone, its boundaries and vending times;
- (n) declare place and timing of vendors markets for weekly haats, night bazaars, holiday bazaars and festival bazaars;
- (o) ensure adequacy of civic amenities, including water sanitation, waste management, electricity in the vending zones;
- (p) monitor activities of street vendors;
- (q) ensure that the quality of products and services provided to the public and public health, hygiene and safety standards as specified by the Municipality are maintained;
- (r) ensure that allotted stalls are utilized by the allottees in accordance with the terms and conditions specified;
- (s) specify the terms and conditions for issue, renew, suspension or cancellation of registration in the manner specified;
- (t) determine actions including imposition of fine for violating the terms and conditions for registration;
- (u) promote awareness regarding credit through institutional mechanisms;
- (v) determine norms for regulating the activities of street vendors;
- (w) determine terms and conditions for providing benefits of insurance, maternity benefits, old age pension and other social security schemes to the street vendors in case of death, illness or disability ;
- (x) lay down guidelines for organizing associations and self-help group of street vendors;
- (y) conduct training program for street vendors with a view to equip them with entrepreneurship and technical and business skills;
- (z) redress grievances and resolve disputes amongst the street vendors;
- (aa) to allocate such duties and responsibilities to the Ward Vending Committees as may be prescribed;

10. Publication of annual accounts statement.- The town vending committee shall prepare and publish its annual accounts statement in such form and manner as may be prescribed.

CHAPTER IV REGISTRATION OF STREET VENDORS

11. Application for registration.-(1) Every person who has completed the age of 14 years and intends to do street vending shall make an application for registration as street vendor to the town vending committee.

(2) Every application under sub-section (1) shall be made in such form and manner and accompanied by such fees as may be specified.

12. Registration of street vendors and issue of certificate of registration.-(1) An application made under sub-section (1) shall be examined by the town of vending committee and registration made within such period, and in a such period, and in a such manner, as may be prescribed,

Provided that on completion of specified period, if no response is received by the applicant he would be deemed to have been registered.

(2) The town vending committee shall not summarily reject the application without giving the applicant an opportunity to rectify deficiencies, if any and hearing him.

(3) If the town vending committee or the officer authorized by town vending committee, as the case may be, is satisfied that the application is in compliance with the provisions of this Act and the rules or schemes made thereunder, he shall register the name of the street vendor.

(4) Any person aggrieved by the decision of the town vending committee under sub-section (3) may, prefer an appeal to the Municipality within such period, and in such manner, as may be specified.

(5) No person shall carry on or commence the business of street vending unless he holds a certificate of vending issued under this Act.

(6) Subject to the provisions of section 12 (5), the Town Vending Committee or any officer authorized by the Town Vending Committee, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the scheme, issue a certificate of vending to every street vendor who has been registered under section 12 (1) and (2).

(7) Every vendor who has been issued certificate of vending shall be issued identity cards in such form and manner as may be specified in the scheme.

(8) The criteria to be followed by the Town Vending Committee for issuing certificate of vending to a street vendor shall be specified in the scheme, which may, apart from other things, provide for preference to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Economically Weaker Section, women, persons with disabilities, minorities or such other categories as may be prescribed.

13. Preference in allotment of stalls to registered street vendors.- (1) The Municipality may give preference to the registered street vendors in allotment of stalls in the vending zones.

(2) The allotment of stalls to the street vendors shall be made in such manner, and subject to such terms and conditions, as may be prescribed.

14. Grant of license.- A registered street vendor to whom a stall has been allotted in a vending zone shall be granted a license which may be renewed from time to time by the Municipality, in such manner, on payment of such fee, and subject to such terms and conditions, as may be prescribed.

CHAPTER V

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF STREET VENDORS

15. Rights of street vendors.- Every street vendor shall have right to carry on the business of street vending activities in the vending zones allotted to him in accordance with the terms and conditions mentioned in the certificate of vending and the scheme framed.

16. Right of a street vendor for a new site or area on relocation.- Every street vendor, who possesses a certificate of vending, shall, in case of his relocation, be entitled for new site or area, as the case may be, for carrying out his vending activities as may be determined by the local authority.

17. Duty of street vendors.- (1) Where a street vendor occupies space on a time sharing basis, he shall remove his goods and wares every day at the end of the time-sharing period allowed to him.

(2) Every street vendor shall maintain cleanliness and public hygiene in the vending zones and adjoining areas.

(3) Every street vendor shall maintain civic amenities and public property in the vending zone in good condition and not damage or destroy or cause any damage or destruction to the same.

CHAPTER VI

RELOCATION OF STREET VENDORS, EVICTION AND PROCEDURE FOR CONFISCATION OF GOODS

18. Relocation or eviction of street vendors.- (1) The municipality shall, having regard to public nuisance or obstructions of movement of general public caused by street vendors, or for any other public purpose, relocate such street vendors in such manner as may be specified in the scheme.

(2) Where the municipality is satisfied that a street vendor has consistently failed to comply with his duties and obligations under the Act or the rules and the scheme made thereunder, evict such street vendor in such manner as may be specified in the scheme.

(3) No street vendor shall be relocated or evicted by the municipality from the site allotted to him unless he has been given seven days' notice for the same in such manner as may be specified in the scheme.

(4) A street vendor shall be relocated or evicted by the municipality physically in such manner as may be specified in the scheme after he had failed to vacate the site after the expiry of said period of notice under sub section 3.

(5) Every street vendor who fails to relocate or vacate the site allotted to him after the expiry of the said period of notice shall also be liable to pay, for every day of such default, a penalty which may extend up to rupees five hundred as may be determined by the municipality.

19. Confiscation and reclaiming of goods.-(1) The municipality, in addition to evicting the street vendor under section 18, may if it deems necessary, confiscate the goods of such street vendor in such manner as may be specified in the scheme.

(2) The street vendor whose goods have been confiscated under sub section (1) may reclaim his goods in such manner, and after paying such fees, as may be specified in the scheme.

CHAPTER VII

PREVENTION OF HARASSMENT OF STREET VENDORS

20. Prevention of harassment of street vendors.- No street vendor who carries on the street vending activities in accordance with the terms and conditions of his certificate of vending shall be prevented from exercising such rights by any person or police or any other authority exercising powers under any other law for the time being in force.

CHAPTER VIII

DUTIES OF MUNICIPALITY/LOCAL AUTHORITY

21. Duties of local authority.-Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Municipality shall be responsible for:-(a) Overall supervision and monitoring of the Scheme for street vendors;

(b) Allotting stalls to the street vendors in the manner specified;

(c) Granting, renewal, suspension or cancellation of license to the registered street vendors in the manner specified;

(d) Providing, in consultation with the town vending committee, in the vending zones and to the street vendors, civic services, including:

(i) Solid waste Disposal

(ii) Public toilets to maintain cleanliness,

(iii)Electricity and drinking Water,

(iv)Shelter to protect street vendors and their wares,

- (v) Storage facilities, beautification, placement of signage and,
- (vi) Other facilities as may be needed by the street vendors and specified in the scheme;

(e) Fixation of fees/levies to be charged from street vendors for purposes of registration, use of space, availing civic services and manner of their collection, in consultation with the vending committee as per scheme;

(f) Determining, in consultation with the town vending committee, the manner of collecting, through banks, counters of Municipal/local authority and counters of town vending committee, fee for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services;

(g) Allocation of staff and budget to each vending committee subject to a minimum annual grant and that at least 50 per cent of the fees and fines collected by a Committee passed on to it for discharging various functions effectively.

(h) Undertake, in consultation with the town vending committee, comprehensive digitalized photo census and survey of the existing number of street vendors with the assistance of such experts and in such manner as may be specified, for the purpose of accommodating street vendors within the holding capacity of the vending zones; the survey will be:-

- (i) Ward by ward, cluster-by-cluster, street-by-street, market-by-market mapping of the area where the vendors are located in each city/town.
- (ii) Comprehensive survey and census count of weekly markets held in different parts of the city or town on different days.
- (iii) Photographic digitized census count of street vendors and their location with the collection of information in such formats as may be prescribed.

(i) The entire database of street vendors shall be notified put on the website of the concerned Municipality and Updated at regular intervals.

- (j) Regulation of traffic near Vending Zone.

CHAPTER IX

DUTIES OF PLANNING AUTHORITY

22. Duties of planning authority.-Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Planning Authority shall be responsible for:-(a) Determining spatial planning norms for street vending;

(b) Earmark space for vending zones in the master plan, development plan, zonal plan, layout plan and any other plan;

(c) Designate areas as no-vending zone;

(d) Monitor the functioning of the town vending committee with regard to the planning norms;

(e) Amend the city or town master plan, development plan, zonal plan, layout plan and any other plan for accommodating street vendors in the designated vending zones;

(f) Demarcate vending zones specific to the requirements of the town or city;

(g) Make spatial plans conducive and adequate for the prevalent number of street vendors in that city or town and also for the future growth, by adopting such norms as may be specified.

(h) Discharge any other duty or duties which may be assigned to it by the government from time to time.

(i) Explore the feasibility of mobile vending in certain areas including multistoried buildings/apartments.

CHAPTER X

BREACHES OF CONDITIONS AND PENALTY

23. Cancellation or suspension of registration.-Where any street vendor who has been registered under this Act or his agent or servant commits breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under this Act or any rules or schemes made thereunder, or where the town vending committee is specified that such registration has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud, the town vending committee may, without prejudice to any other fine which may have been incurred by the street vendor under this act, cancel the registration or suspend the same for such period as it thinks fit:

Provided that no such cancellation or suspension shall be made by the town vending committee unless an opportunity of hearing has been given to the street vendor.

24. Cancellation or suspension of allotment of stall, license.-Where any street vendor to whom a stall has been allotted or a license has been granted under this Act or any agent or servant of such vendors commits breach of any of the conditions thereof, or any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under this Act or any rules or schemes made thereunder, or where the Municipality is satisfied that such allotment of stall or license, as the case may be, has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud, the Municipality may, without prejudice to any other fine which may have been incurred by the street vendor under this act, cancel the allotment of stall or license, as the case may be, or suspend the same for such period as it thinks fit:

Provided that no such cancellation or suspension shall be made by the local authority unless an opportunity or hearing has been given to the street vendor.

25. Penalty for Contraventions.-If any street vendor.- (a) indulges in street vending without registration;

(b) vends beyond the designated vending zones or specified timings;

(c) vends goods or offers services that are determined to public health;

(d) contravenes the terms and conditions of registration;

(e) contravenes the terms and conditions of stall or license; or

(f) contravenes any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under this act or any rule or schemes made thereunder, or vends in a no-vending zone

he shall be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred but which may extended to rupees one thousand, as may be determined by the town vending committee, or as the case may be, by the Municipality.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

26. Conferring ownership rights etc.- (1) Nothing contained in this Act shall be construed as conferring upon a street vendor any temporary, permanent or perpetual right of carrying out vending activities in the vending zones allotted to him or in respect of any place on which he carries on such vending activity.

(2) Nothing contained in sub-section 1 shall apply to any stationery vendor, if a temporary leasehold or ownership right has been conferred on him by a lease deed or otherwise, in respect of a place at specific location where he carries on such vending activity in accordance with the provisions under any law for time being in force for carrying out such vending activity.

27. Returns.-Every town vending committee shall furnish, from time to time, to the Government and the Municipality such reports and returns as may be prescribed.

28. Promotional Measures.-The government may, in consultation with the town vending committee, Municipality, planning authority, street vendors association or unions, undertake promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors.

29. Research Training and Awareness.-The Government may, to the extent of availability of financial and other resources –(a) Develop and organize capacity building programmes for street vendors and on how to exercise the rights contemplated under this Act.

(b) Undertake research, education and training programmes to advance knowledge and understanding of the role of the informal sector in the economy, in general, and the street vendors, in particular and to raise awareness aiming the public through town vending committees.

30. Power to make bye-laws.-Subject to the provisions of this Act or any rules or schemes made thereunder, the Municipality may make bye-laws to provide for all or any of the following matters, namely:- (a)The regulation and manner of vending in vending zones, restricted – vending zones and enforcement of no-vending zones

(b) The regulation of collection of taxes and fees in the vending zones

(c) Regulation of traffic in or near the vending zones

(d) The regulation of quality of product and services provided to the public in vending zones and maintenance of public health, hygiene and safety standards

(e) The regulation of civic services in the vending zones; and

(f) The regulation of such other matters in the vending zones and no-vending zones as may be necessary

31. Power to make rules.- (1) The Government may, after consultation with the town vending committee, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-(a) The manner of framing and publishing summary of scheme under sub-section 2 of section 3.

(b) The number of members under clause (b) of sub-section (2) of section 4.

(c) The allowances of members under sub-section (3) of section 4

(d) The time and place for meeting, procedure for transaction of business at meetings and functions to be discharged under section 4

(e) The manner and purpose for which a person may be associated under sub-section (1) of section 6

(f) The allowances to associated person under sub-section (3) of section 6

(g) The other employees of town vending committee under section 7

(h) The manner and purpose for constituting, and the number of the ward vending committees under section 8

(i) The form and manner for preparing and publishing annual accounts statement under section 10

(j) The returns to be filled under section 27

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature, while it is in the session, and if the house agree in making any modification in the rule agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be off no effect, as the case may be, however, that any such modifications or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or scheme or bye-law.

32. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no order shall be made under this section after expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 699-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>